



क्रमांक : रा० पी० प्र०/एल.ए./2015/

८०९

दिनांक : 1.7.15

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी०सी०पी०एन०डी०टी० सैल
राजस्थान, जयपुर

परिपत्र-18

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर पीठ में विचाराधीन प्रकरण डी.बी. सिविल रिट् याचिका (PIL) संख्या 3270/2012 एस.के. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के प्रकरण में दिनांक 15.04.2015 को पारित आदेश की अनुपालना में दिनांक 30.04.2015 को अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा सभी विभागों के प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक के अनुक्रम में सभी पक्षकारों यथा, संबंधित राज्य सरकार के विभाग, जिला/उपखण्ड समुचित प्राधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समन्वयक जिला पीसीपीएनडीटी, सभी रजिस्टर्ड सोनोग्राफी केन्द्र मार्फत जिला नोडल अधिकारी, राज्य में सोनोग्राफी मशीन खरीदने व बेचने वाली कम्पनीयों को आदेश की प्रति निदेशालय राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के पत्र क्रमांक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/2015/593 दिनांक 21.05.2015 के द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर जरिए ई-मेल एवं डाक के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जा चुकी है। माननीय न्यायालय के इस आदेश को संबंधित पक्षकारों की सुविधा के लिये विभागीय साइट (www.rajswasthya.nic.in) की पीसीपीएनडीटी साइट पर भी अपलोड किया गया है।

दिनांक 18.06.2015 को राज्य सलाहकार एवं समुचित प्राधिकारी की बैठक में माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु परिपत्र जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई जिसकी अनुपालना में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी कर संबंधित पक्षकारों से यह आग्रह किया जाता है कि इसकी अनुपालना अतिशीघ्र की जाये ताकि माननीय न्यायालय को आगामी तारीख पेशी पर अनुपालना रिपोर्ट पेश की जा सके।

बिन्दु संख्या 1:-

All the registered Medical Practitioners, authorized by amendment in rule 3(3) of the PCPNDT Rules of 1996 made in the year 2012, to carry out the sonography test, shall sign the sonography reports. The digital signatures will not be allowed. Each & every report will be accompanied with the photo copy or printed copy of the registration certificate of the PCPNDT clinic.

सोनोग्राफी करने हेतु अधिकृत चिकित्सक प्रत्येक रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर करेगा। डिजिटल हस्ताक्षर मान्य नहीं है तथा प्रत्येक सोनोग्राफी रिपोर्ट के साथ अपने पीसीपीएनडीटी रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी संलग्न करेगा। जिलों में समुचित प्राधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक यह कार्य सुनिश्चित करेंगे।

(Handwritten signature)

बिन्दु संख्या 2:-

Every sale of the ultrasound sonography machine whether static or portable under section 3(B) of the PCPNDT Act will be reported by the manufacturers to the State Appropriate Authority. The manufacturing companies and dealers will obtain sufficient proof of the registration or application for registration before sale of the machine. The reporting will also include the sale of the second hand ultrasound sonography machine with the proof of sale to be registered as PCPNDT Clinic. Every sale of machine in violation of these directions will be treated as unauthorized sale, on which the machine will be liable to be seized.

प्रत्येक सोनोग्राफी निर्माता कम्पनी अथवा सोनोग्राफी मशीन खरीदने व बेचने वाली कम्पनी/व्यक्ति राज्य में खरीदी व बेचने वाली मशीनो की रिपोर्ट पूर्व की भांति राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा जिस केन्द्र/संचालक को मशीन खरीद अथवा बेच रही है उससे पूर्व उसका पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। जिलों में समुचित प्राधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक यह कार्य सुनिश्चित करेंगे।

बिन्दु संख्या 3:-

A GPS will be required to be attached to check the location of the ultrasound sonography machine. Every manufacturer will install a GPS System at the time of sale of machine for tracing the location of the ultrasound sonography machine. The State Appropriate Authority will develop the technical knowhow of attaching a GPS on every machine within a period of three months. After three months, the sale of Ultrasound sonography machine without attaching GPS System will not be permitted.

प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन निर्माता कम्पनी सोनोग्राफी मशीन को बेचने के दौरान जीपीएस प्रणाली लगाकर बेचेगा। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2015 से तीन महिनो (दिनांक 15.07.2015 तक) के बाद में कोई भी कम्पनी बिना जीपीएस प्रणाली लगाये मशीन राज्य में नहीं बेच सकेगी।

इस बाबत कम्पनी मालिक एवं सोनोग्राफी केन्द्र संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम में आवश्यक सूचना यथा समय उपलब्ध करावें। जिलों में समुचित प्राधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक यह कार्य सुनिश्चित करेंगे।

बिन्दु संख्या 4:-

The active trackers installed on sonography machines are of no use until the control rooms are established. The State Government will ensure that sufficient number of control rooms is established and a nodal officer is appointed for continuous monitoring of control room servers.

एक्टिव ट्रेकर/साइलेंट ऑब्जर्वर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर व जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये। राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम के प्रभारी सलाहकार तकनीकी सूचना होंगे तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में

कन्ट्रोल रूम कार्य करेगा एवं सलाहकार पीसीपीएनडीटी कन्ट्रोल रूम के माध्यम से एक्टिव ट्रेकर/साइलेंट आबजर्वर की मॉनिटरिंग करेगा।

कन्ट्रोल रूम संचालन के लिये व्यय का वहन पीआईपी वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित किया गया है, जिसके अनुमोदन प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।

बिन्दु संख्या 5:-

The society at large has to be vigilant about the pernicious practice of female foeticide, which is conceived in secrecy and executed in deceit in connivance with the medical practitioners. The member of the society is given freedom to report these crimes to the State Appropriate Authority and the District Appropriate Authority. The complaints addressed to the District Magistrate or any other Appropriate Authority will be immediately reported to the State Appropriate Authority for taking steps. Wherever the complaints are found to be genuine, on making inspection, the complainant will be rewarded and for which the State Govt. will issue Appropriate Scheme within 3 months. The decoy operations will be encouraged and for which the State Govt. will issue guidelines for both carrying out the decoy operation and for rewarding the participants in the successful decoy operations.

- विभाग द्वारा इस बाबत 104 टोल फ्री मेडिकल सलाहकार सेवा पर भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज करने हेतु परिपत्र दिनांक 31.7.2014 को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं इसका अत्यधिक प्रचार-प्रसार किया जाये।
- राज्य सरकार मुखबिर योजना के तहत ईनाम राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये के आदेश दिनांक 30.04.2015 को जारी कर चुकी है। समस्त समुचित प्राधिकारी इस योजना का प्रचार-प्रसार करें।
- डिकॉय ऑपरेशन करने हेतु नई गार्ड लाइन शीघ्र जारी कर समुचित प्राधिकारी को भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु संख्या 6:-

The State Govt. is requested to continue its efforts to encourage and expand the scope of the schemes for welfare of GIRL CHILD. The State Govt. has taken sufficient measures for public awakening, such as 'BADHAI SANDESH' on the birth of GIRL CHILD, involvement of various NGO's and Govt Organisations in 'BETI BACHAO BETI PADHAO' and in developing the 'ASHA SOFTWARE' for timely and seamless online payment under the various scheme to the beneficiary. The fall in the ratio of GIRL CHILD in the state of Rajasthan, however, requires the State Govt. to increase and expand the scope of the existing scheme and to initiate more schemes, for public awareness for protection of GIRL CHILD.


उक्त के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान उक्त बिन्दु के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बिन्दु संख्या 7:-

The State Govt., NGO's, Charitable Societies and the School both Govt. and Private must be encouraged and given special grants to organize programmes for development of the Girl Child and awareness against female foeticide and female infanticide.

गैर सरकार संगठनों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या व कन्या शिशू हत्या को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये। इस बाबत भारत सरकार द्वारा पीआईपी में 2015-16 में धन राशि प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किया गया है एनजीओ द्वारा जारी गाइड लाइन बजट प्राप्त होने पर जिलों को भिजवा दिया जायेगा।


इस परिपत्र पर वैधानिक स्थिति उत्पन्न होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2015 के निर्देशन लागू होंगे।


(नेवीन जैन)
विशेष शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, भारत सरकार।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. डॉ० राकेश कुमार, संयुक्त शासन सचिव (आरसीएच), भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नम्बर-145 ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
4. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज० जयपुर को बिन्दु संख्या 6 हेतु पालनार्थ।
7. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज० जयपुर को बिन्दु संख्या 3 एवं 4 हेतु पालनार्थ।
8. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को बिन्दु संख्या 6 एवं 7 हेतु पालनार्थ।
9. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर को बिन्दु संख्या 7 हेतु पालनार्थ।
10. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को बिन्दु संख्या 6 एवं 7 हेतु पालनार्थ।
12. निदेशक, पीएनडीटी, (MOHFW) कमरा नम्बर 203-डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
13. निदेशक (आईईसी) एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
14. निदेशक (जन स्वा०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।

15. निदेशक (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), राजस्थान जयपुर।
17. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज, जयपुर।
18. समस्त लोक अभियोजक, विशिष्ट अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी प्रकरण), अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर को मार्फत संबंधित जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
19. समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान/समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान द्वारा अब तक की गई अनुपालना रिपोर्ट से दिनांक 06.07.2015 को आयोजित "बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ" की बैठक में लाकर राज्य समुचित प्राधिकारी को अवगत करावें।
20. समस्त सोनोग्राफी कम्पनीयों को बिन्दु संख्या 3 व 4 हेतु पालनार्थ मार्फत जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
21. मेनेजर, मेगनम ऑपस, विजन इण्डिया, एडवांस बायोमेडिक्स को बिन्दु संख्या-3 हेतु पालनार्थ।
22. समस्त सोनोग्राफी केन्द्र को बिन्दु संख्या 1, 2 एवं 3 हेतु पालनार्थ मार्फत जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
23. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को बिन्दु संख्या 3 व 4 हेतु पालनार्थ एवं विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
24. संबंधित रक्षित पत्रावली।


(डॉ० वी.के. माथुर)
निदेशक (प0क0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।